

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र “लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर” के नाम से देय होगा।
2. सामान्य सूचना का आवेदन “कुलसचिव” के नाम, परीक्षा से संबंधित सूचना “परीक्षा नियंत्रक” के नाम, लेखा एवं वित्त विभाग से संबंधित सूचना “वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार” के नाम एवं अन्य विभागों तथा महाविद्यालयों की सूचना “विभागाध्यक्ष” एवं ‘प्राचार्य/प्राचार्या’ के नाम देय होगी।
3. लोक सूचना अधिकारी सूचना के आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर सूचना का निस्तारण करेगा।
4. आवेदक को सूचना 30 दिन में नहीं मिलने के पश्चात् अन्य 30 दिन में प्रथम अपील “कुलपति” के नाम देय होगी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं।
5. आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रूपये 10/- के पोस्टल ऑर्डर में देय होगा।
6. सूचना का अधिकार के अन्तर्गत दी गई सूचना में रूपये 2/- का शुल्क प्रति पेज के हिसाब से आवेदक से लिया जायेगा।